

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा बस न हो निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) नवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नदरो के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त हो जा सकती है ।

पत्रालय दिल्ली केवल आवासीय प्रयोजनात्मक

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 703 दिनांक 09/09/2020

जी+)
आवासीय

प्राथमिक 1) श्रीमती नीरु सिंह एवं 2) पंजाब सिंह

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय P.No = 2-घ-30 मधुवन

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वानिर्धारण राशि रुपये 6673/- जमा

जरिये रसीद संख्या 2069/4791, 4792

दिनांक 09/09/2020 को जमा करा दी है ।

09/09/2020

सहायक नगर नियोजक

नगर निगम, जोधपुर

Neeru Singh.

8003714201

Panjab Singh

9660601024